18.11.2025

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक अनुपस्थित। अप्रार्थी को जबाव पेश करने हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके है। अतः अप्रार्थी का जबाव पेश करने का अवसर बन्द किया जाता है। अतः प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार पिण्डवाडा के मुकदमा संख्या 07/2024 दिनांक 01.08.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल पत्रावली के साथ नत्थी हो।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर,सिरोही

Scanned with CamScanner